

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 81/15 (वाद)

कैम्प – रख्यावल

1. श्री उम्मेदसिंह पिता पेमसिंह राव निवासी खाम की मादडी तह. मावली ।
2. श्री जसोदा कुंवर पुत्री पेमसिंह राव निवासी खाम की मादडी तह. मावली ।

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लीला कुंवर पुत्री पेमसिंह पत्नी नारायणसिंह नंगावत निवासी आईडाणा तह.
आमेट ।
2. श्रीमती सुमनकुंवर पुत्री पेमसिंह पत्नी रघुवीरसिंह नंगावत निवासी आईडाणा तह.
आमेट ।
3. मंजु कुंवर पुत्री पेमसिंह राव निवासी द्वारा नारायणसिंह नंगावत निवासी आईडाणा तह.
आमेट
4. श्री शंकरसिंह पिता सार्दुलसिंह राव निवासी खाम की मादडी तह. मावली ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर ।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.06.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	उम्मेदसिंह पिता पेमसिंह 1/3 लीलाकुंवर, सुमनकुंवर, जसोदा मन्जु पिता पेमसिंह राव खातेदार 2/3	657 मी.	0.05	0.12
		657/2	0.04	0.10
		677/1	0.05	0.83
		678/1	0.06	0.09
		689/1	0.04	0.50
		703/1	0.13	1.45
		706/1	1.03	2.75
		709/1	0.14	1.40
		711/1	0.12	0.36
		713/4	3.06	0.99
713/2	1.10	0.45		
	योग	किता 11	9.02	9.04

2	शंकरसिंह पिता सार्दुलसिंह राव सा. देह खातेदार	657 / 1	0.05	0.13
		657 / 3	0.04	0.10
		677 मी.	0.05	0.82
		678 मी.	0.01	0.02
		678 / 2	0.06	0.09
		689 मी.	0.03	0.50
		703 मी.	0.11	1.45
		706 मी.	1.03	2.75
		709 मी.	0.13	1.30
		710	0.01	0.10
		711 मी.	0.02	0.06
		712	0.07	0.21
		713 / 1	1.12	0.48
		713 / 3	1.00	0.30
		713 मी.	2.00	0.60
		714	0.02	0.06
		715	0.05	0.08
	योग	किता 17	9.00	9.05
3	उम्मेदसिंह पिता पेमसिंह 2 / 12, लीला कुंवर, सुमनकुंवर, जसोदा, मन्जु पिता पेमसिंह राव 4 / 12 शंकर सिंह पिता सार्दुल सिंह राव 1 / 2 राव सा. देह खातेदार	680	0.01	0.02
		योग	किता 1	0.01

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली